म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./मु.क.प्या.प्रो.यो/2019/03/पार्ट/4161 भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2019

प्रति

1. संयुक्त/उप संचालक
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय–............(समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति,
   जिला – ........(समस्त)

विषय :– मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालीयन पत्र कमांक/मु.प्याज.कृ.प्रो./रबी/03–पार्ट/2019/3979 दिनांक 08 जून 2019।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजनांतर्गत मंडी समितियों में आवक–विकय संव्यवाहारों एवं अन्य जानकारियों को कम्प्यूटर पर इन्द्राज, विवरण का संकलन, समीक्षा एंव सत्यापन हेतु चयनित मंडी समितियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुबंधित एजेंसियों से दिनांक 10.06.2019 से दिनांक 09.07.2019 तक रखने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः योजनांतर्गत उक्त प्रयोजन से रखे गये डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का निर्धारित संख्या एवं निर्धारित अवधि में पारिश्रामिक का भुगतान संबंधित मंडी समिति स्तर से करने का निर्णय लिया गया है। उक्त भुगतान उपरांत मंडी समिति द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पारिश्रामिक की मुख्यालय से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव के साथ एजेंसी के सत्यापित देयक तथा उपार्जित पत्रक की प्रमाणित प्रति भिजवाये ताकि शासन से योजना के प्रशासकीय व्यय मद से क्लेम की जा सकें और शासन से प्रश्नागत राशि की प्राप्ति उपरांत उसकी मंडी समिमियों को प्रतिपूर्ति की जा सकें।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो.)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./मु.क.प्या.प्रो.यो/2019/03/पार्ट/4162 भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक (वित्त/कार्मिक), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. उप संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जिला – ....... (समस्त)

अपर संचालक (भा.भु.यो.)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

Scanned by CamScanner